


भारत का राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 जून, 2026

का.आ. —. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री दिनेश पंत, प्रबंध निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए, अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पांच लाख रुपए प्रतिमाह (आवास और कार की सुविधा के बिना) के समेकित वेतन पैकेज पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) में पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकिक) के रूप में नियुक्त करती है।

(फा. सं. आर-12011/01/2025-बीमा-1)



(अब्दुल गुफरान)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. श्री दिनेश पंत, प्रबंध निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम।
2. अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), हैदराबाद।
3. श्री कुंदन नाथ, अवर सचिव (ईओ-एसएम-II), एसीसी सचिवालय, डीओपीटी, नई दिल्ली; दिनांक 08.06.2026 के मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय के संचार सं. 31/1/2026-ईओ(एसएम-II)-03 के संदर्भ में।
4. वित्त मंत्री के निजी सचिव / वित्त राज्य मंत्री के निजी सचिव।
5. सचिव के प्रधान निजी सचिव / अपर सचिवों के निजी सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम।
7. अध्यक्ष-सह-प्रबंधनिदेशक,
एनआईएसीएल/एनआईसीएल/ओआईसीएल/यूआईआईसीएल/एआईसीआईएल/जीआईसी-री।
8. NIC सेल - वित्तीय सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
9. गार्ड फाइल।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

NOTIFICATION
New Delhi, 15th June, 2026

S.O.—7 In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby appoints Shri Dinesh Pant, Managing Director, Life Insurance Corporation of India to the post of Whole-Time Member (Actuary) in Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), on a consolidated pay package of five lakh rupees per month (without facility of house and car), for a period of five years from the date of assumption of charge of the post, or till attaining the age of 65 years, or until further orders, whichever is the earliest.

(F.No. R-12011/01/2025-Ins-I)



(Abdul Gufran)

Under Secretary to the Government of India

Copy to:

1. Shri Dinesh Pant, Managing Director, Life Insurance Corporation of India.
2. Chairperson, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Hyderabad.
3. Shri Kundan Nath, Under Secretary (EO-SM-II), ACC Secretariat, DoPT, New Delhi, with reference to Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet's communication no. 31/1/2026-EO(SM-II)-03 dated 08.06.2026.
4. P.S. to F.M./P.S. to MOS(Finance).
5. PPS to Secretary/PS to Additional Secretaries, Department of Financial Services.
6. Chief Executive Officer & Managing Director, Life Insurance Corporation of India.
7. Chairman-cum-Managing Directors, NIACL/NICL/OICL/UIICL/AICIL/GIC-Re.
8. NIC Cell for uploading on website of DFS.
9. Guard file.